

# PRESS - RELEASE

## जिला सवाई माधोपुर

गुरुवार

दिनांक :- 05.10.2017

### शांति भंग करने के 16 आरोपी गिरफ्तार :-

सर्बिब स०उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने अर्भषेक पुत्र श्री हंसराज मीना जाति मीना उम्र 18 साल निवासी जीनापुर स०मा० व हरिमोहन पुत्र श्री पृथ्वीराज मीना उम्र 18 साल निवासी जीनापुर थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स०उ०नि० थाना खण्डार स०मा० ने गोपाल पुत्र रोडू उम्र 40 साल , सांवडया पुत्र रोडू उम्र 44 साल जातियान बागरिया निवासी छपर कालोनी खण्डार थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्रसिंह हैड कानि० 396 थाना बोली ने श्री इकराम पुत्र मकबूल जाति मुसलमान नि० मलारना चौड थाना मलारना डुगर , श्री धर्मवीर पुत्र बजरंगलाल जाति यादव नि० पीपलदा थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार शिवचरण गोस्वामी हैड कानि० 324 थाना पीलोदा स०मा० ने श्री शिवदयाल पुत्र नथुआ जाति कहार उम्र 35 साल निवासी सुन्दरपुर थाना पीलोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार राजरोषी हैड कानि 01 थाना चौथ का वरबाडा ने महावीर पुत्र श्री राजाराम जाति गुजर नि० झाडौदा थाना चौथ का बरवाडा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार भरत लाल हैड कानि० 361 थाना चौथ का वरबाडा स०मा० ने सीताराम उम्र 25 साल , छोटु उर्फ बसराम उम्र 25 साल पुत्रान नेहनू गुर्जर निवासीयान विजयपुरा थाना चौथ का बरवाडा स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार माधोसिंह हैड कानि० 1203 थाना चौथ का वरबाडा स०मा० ने बाबुलाल पुत्र रामगोपाल जाति मीना उम्र 38 साल निवासी एकडा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामवीर सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना चौथ का वरबाडा स०मा० ने मदन पुत्र रामलाल प्रजापत उम्र 32साल निवासी भगवतगढ थाना सुरवाल जिला सवाई माधोपुर , ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति खटिक उम्र 21 साल निवासी महाराउड थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर , पप्पु पुत्र नेनुराम जाति बैरवा उम्र 37 साल निवसी झोपडा थाना सुरवाल जिला सवाई माधोपुर , गणेश पुत्र मुन्ना शमा उम्र 21साल निवासी दतवास थाना दतवास जिला टांक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार फजरुद्दीन हैड कानि० 333 थाना मानटाउन ने श्री रिकू शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 29 साल निवासी 324/368 सीमेन्ट फैक्ट्री थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर , श्री प्रमोद शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 50 साल निवासी 53/168 सीमेन्ट फैक्ट्री थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

रेवतसिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने फरार स्थाई वारण्टी श्री दयाल उर्फ रामदयाल पुत्र श्री श्योदान जाति गुर्जर उम्र 46 साल निवासी पादडी तोपखाना थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एसीजेएम साहब सवाई माधोपुर ने केस नं० 90/09 में स्थाई वारण्ट जारी किया गया था।

## शराब पीकर वाहन चलाते 01 आरोपी गिरफ्तार:—

रामावतार हैडकानि 49 थाना मलारना स0मा0 ने श्री वीरसिंह पुत्र राजूलाल जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी पिपलाई थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

## सट्टे की खाईवाली करते 01 आरोपी गिरफ्तार:—

सांबर स0उ0नि0 थाना कोतवाली ने रमेश पुत्र लड्डू लाल जाति मालो उम्र 42 साल निवासी सत्यनारायण मोहल्ला आलनपुर सट्टे की खाईवाली करते हुये जुआ अधिनियम के आरोप में सट्टा उपकरण व 1160 रूपयें के साथ गिरफ्तार किया गया।

## दर्ज मुकदमात के 10 आरोपी गिरफ्तार :-

प्रेमबहादुर सिंह पु0नि0 थानाधिकारी थाना कोतवाली स0मा0 ने दर्ज मुकदमात का आरोपी नरेश पुत्र श्री खूबचन्द उम्र 29 साल जाति सिन्धी निवासी मर्नहारो मोहल्ला शहर स0मा0को ,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री सलमान रंगरेज निवासी घोषी मोहल्ला स0मा0 ने दिनांक 22.07.2017 को मु0न0:- 412/17 धारा 143,323,341,308 ता0हि0 में थाना कोतवाली स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी प्रकार भंवर सिंह उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने दर्ज मुकदमात के आरोपी. श्री प्रदोप पुत्र श्री लक्ष्मण लाल जाति मीना उम्र 22 साल निवासी रावल थाना कोतवाली स0मा0 ,प्रकाश उर्फ औमप्रकाश पुत्र कजोडमल उम्र 20 साल निवासी रावल थाना कोतवाली स0मा0 , ऋषिराज पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति मीना उम्र 28 साल निवासी रावल को ,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री मुकेश मीणा निवासी रावल स0मा0 ने दिनांक 07.08.2017 को मु0न0:- 438/17 धारा 341,323,427,327,307,34 ता0हि0 व मनराज मीणा निवासी रावल ने दिनांक 07.09.2017 को मु0न0 497/17 धारा 143,323,341,427,325,308 ता0हि0 में थाना कोतवाली स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी प्रकार कान सिंह स0उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने दर्ज मुकदमात का आरोपी अशरद पुत्र श्री फकरुद्दोन जाति मुसलमान उम्र 17 साल निवासी शेषा थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को ,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमति राधा देवी निवासी चौरु थाना अलीगढ हाल रेलवे कॉलोनी स0मा0 ने दिनांक 22.03.2017 को मु0न0:- 158/17 धारा 143,323,341,325,308 ता0हि0 में थाना कोतवाली स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी प्रकार भरत लाल हैड कानि 361 थाना चौथ का वरबाडा सवाई माधोपुर ने दर्ज मुकदमात के आरोपी .योगेन्द्र पुत्र राजमल मीना नि0 भेडोला,पृथ्वीराज पुत्र भरतलाल मीना नि0 जगमोदां .. धनराज पुत्र बाबूलाल मीना नि0 बोरदा को ,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध ललित कुमार कानि0नं0 449 थाना चौथ का बरवाडा स0मा0 ने दिनांक 19.07.2017 को मु0न0:- 143/17 धारा 332,353 ता0हि0 में थाना चौथ का वरबाडा स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी प्रकार पप्पूलाल स0उ0नि0 थाना मानटाउन सवाई माधोपुर ने दर्ज मुकदमात के आरोपी . श्री मदनमोहन पुत्र प्रेमराज जाति मीना उम्र 25 साल निवासी गज्जुपुरा थाना सपोटरा जिला करौलीको ,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध मुकेश कुमार निवासी ब्रहमपुरी कॉलोनी स0मा0 ने दिनांक 04.05.2017 को मु0न0:- 159/17 धारा 323,341,384,365 ता0हि0, में थाना मानटाउन स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी प्रकार कस्तूर वर्मा उ0नि0 थानाधिकारी थाना रवांजना डूंगर स0मा0 ने दर्ज मुकदमात का आरोपी श्रीमति हरवाई वेबा रार्माकशन जाति मीना उम्र 66 साल निवासी दोलाडा थाना रवाजना डूंगर को,गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध मुकेश निवासी इटावा थाना चौथ का बरवाडा स0मा0 ने दिनांक 03.10.2017 को मु0न0:- मु0नं0 176/17 धारा 498ए,306,201,120बी ता0हि0 में थाना रवांजना डूंगर स0मा0 पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

## जुआ खेलते 06 आरोपी गिरफ्तार:—

पूरण चंद उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी स0मा0 ने लोकेश पुत्र रामसिंह मीना निवपसी फूलवाडा , 2. राजकुमार पुत्र भगवान सिंह मीना निवास सलावद थाना नादौती , 3. राकेश पुत्र तेजपाल मीना निवासी

टोडा थाना बामनवास , 4. मुकेश पुत्र प्रभू मीना निवासी फूलवाडा पैपट थाना वीजरपुर को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 3020 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 665/17 दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार शिवलाल हैड कानि नं. 13 थाना बाटोदा स0मा0 ने गौतम पुत्र रमेश उम्र 27 साल जाति कोली निवासी जीवद , नन्हैया पुत्र श्री फूल्या जाति कोली उम्र 50 साल निवासी जीवद थान बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1070रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 152/17 दर्ज किया गया ।